

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़
आदेश पत्रक

दाखिल खारिज रिविजन वाद संख्या - ...28.../2018
भगवान मिश्रा बनाम् अंचल अधिकारी, रामगढ़ एवं पूजा नारंग

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कार्रवाई के
बारे में टिप्पणी

23-08-2018

आवेदक भगवान मिश्रा पिता स्व० नारायण मिश्रा, ग्राम- लाखे,
थाना- मुफसिल हजारीबाग, जिला हजारीबाग द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता,
रामगढ़ के न्यायालय में दायर दाखिल खारिज अपील वाद सं०-
12/2015-16 भगवान मिश्रा बनाम् अंचल अधिकारी, रामगढ़ एवं अन्य में
दिनांक 27/01/2017 को पारित आदेश के विरुद्ध U/S- 16 Bihar
Tenants holding (Maintenance of record) Act.-1973 के तहत रिविजन
वाद दायर किया गया है। आवेदन के साथ निम्न न्यायालय में पारित आदेश
की सत्यापित प्रति एवं U/S- 5 Limtation Act. के तहत कालबाद्ध को क्षान्त
हेतु आवेदन दाखिल किया गया है। प्रविष्टि के बिन्दु पर सुनवाई हेतु
अभिलेख दिनांक ...31-08-2018...को रखें।

उपायुक्त,
रामगढ़।

31-08-2018

अपीलार्थी - एकालतन हाजरी
पी०प० अन्य कार्य में व्यस्त।
दिनांक 12/09/2018 को रखें।

12-09-18

अपीलार्थी - एकालतन हाजरी
वहस सुना। आदेश हेतु रखें।

आदेश की
क्रम संख्या
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

06/02/2019

पीठ पदाध भन्व कार्य में व्यस्त।
दिनांक 20/02/2019 को स्वै

प्रवर्षण

20/02/2019

अपीलार्थी - वकालत हाजरी
विपक्षी - वकालत हाजरी
बहस सुना। आदेश हेतु स्वै

20/2/19

—:: आदेश ::—

अभिलेख उपस्थापित। अपीलार्थी एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना। बहस के दौरान विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत भूमि से संबंधित मामला व्यवहार न्यायालय में लम्बित है, जिसे अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया है।

अतः विपक्षी की ओर से दिनांक-16.01.2019 को दायर आवेदन के प्रत्योत्तर में अपीलार्थी की ओर से दिनांक 23.01.2019 को दायर आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। साथ ही उक्त परिप्रेक्ष्य में अधोहस्ताक्षरी न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का आदेश पारित करना नियम के प्रतिकूल होगा। अतः अपीलार्थी का अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। इसी मन्तव्य के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है।

उपायुक्त,
रामगढ़।

20/2/19